दर्ज रजिस्टर
फैसला में दर्ज

सरवरक

कायदा (129)

{General Rules (Civil) 129, Appendix 'B' Form No. 8}

2025
107

1. अदालत उपखण्ड अधिकारी स्थान द्वितीय सांगानेर

2. किस्म मुकदमा

फर्द अहकाम

कानीदेवी बनाम रूकमणीदेवी व अन्य

संख्या: 42/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
05.02.2025	वकील वादी ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं सीमांकन का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलवी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 07.03.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	नोटिसजारी 695-699 5/2/25
7/3/25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वादी पक्ष ने प्रतिवादीगण को जारी रजि० नोटिस की प्राप्ति रसीदें पेश की शामिल की। प्रति० सं-५ की ओर से अधिवक्ता मनोज चौधरी एड० ने वकालतनामा पेश किया शामिल हो। पत्रावली इन्तजार तामील व जवाब दावा प्रति० सं-५ हेतु दिनांक 28/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (साँगानेर)	
28/3/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/4/25 को पेश हो।	
9/4/25	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अत पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/4/25 को पेश हो।	
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी सं. ५ उपस्थित। प्रतिवादी सं. ५ जवाबदावा पेश नहीं किया। सीमाज्ञान हेतु तहसील सांगानेर को प्रपत्र की फोटोप्रति पेश की है। वकील उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। प्रार्थी/वादी का वाद डिक्री किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ~~[illegible]~~ सुनाया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र : 42/2025

निर्णय दिनांक : 17.04.2025

उनवान

कानी देवी पत्नी श्री धन्नालाल जाति बागडा ब्राहमण निवासी मकान नं0 19 बागडो का मोहल्ला, बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. रुकमणी देवी पत्नी मुकेश कुमार जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. रामबाबू शर्मा पुत्र धन्नाराम शर्मा जाति बागडा ब्राहमण निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
3. सीताराम राम शर्मा पुत्र श्री ज्ञाना जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
4. दिलीप सिह राठौड पुत्र श्री गणपत सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी 57 हनुमत नगर, गोकुलपुरा, जयपुर
5. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमांकन अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वादीगण ने वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सीमांकन अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 हैक्टयर वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर मे स्थित हैं जिस पर प्रार्थीया का हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं जिस अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। मद संख्या 1 मे वर्णित वादिया की भूमियों के सीमाजोड पर प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि खसरा नम्बर 840 व प्रतिवादी व प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि भूमि खसरा नम्बर 830 व 835 ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भूअभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से मिलकर वादग्रस्त भूमियो मे निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसके लिए दिनांक 28–01–2025 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने वादिया की भूमियों में भी नीव खोदना शुरू कर दिया व निर्माण सामग्री डालकर नीव खोदना शुरू कर दिया जिसका वादिया

उपखण्ड अधिकारी
(सांगानेर) हिम्मत सिंह
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

ने प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने निवेदन किया कि पहले आप विधिवत सीमाज्ञान करवा लो उसके बाद अपनी भूमियों पर निर्माण करवा लेना तो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 आग बबूला हो गये और वादिया को एलानिया धमकी दी कि हम कोई सीमाज्ञान नही करवायेगे एवं हमारे जचेगी वही पर निर्माण कार्य करेगे। इस कारण वादिया को यह वाद पत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमांकन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादिया प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने की अधिकारी है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.33 हैक्टयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 00.4 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 840, 841, 830, 835 वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर का सीमाज्ञान करवाये बिना व विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना मनमाने तरीके से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व कब्जा करने का प्रयास न करें तथा वादिया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित न करें। ऐसा न तो स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे। तथा वादिया की भूमियो का सीमांकन करवाया जाकर स्थाई सीमाचिन्हं कायम किये जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सहखातेदार होने एवं उनके द्वारा वादिया का कोई सहयोग न करने के कारण उनको वाद में पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण दिनांक 28.01.2025 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 द्वारा जोर जबरन से वादिया के कब्जे काश्त की भूमियों में नीव खोदने व निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य शुरू करने से एवं धमकी दिये जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः वाद बहक वादी विरूद प्रतिवादी इस प्रकार डिकी फरमाया जावे किइ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 हैक्टयर एवं 840, 841, 830, 835 वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर का सीमाज्ञान करवाये बिना व विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना मनमाने तरीके से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व कब्जा करने के प्रयास न करे तथा वादिया के शांन्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कारित न करें। ऐसा न तो स्वंय करें ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे। वादिया की भूमि का खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 हैक्टयर वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर का सीमांकन करवाया जाकर स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 बावजूद रजिस्टर डॉक सूचना उपस्थित नही। प्रतिवादी 1 लगायत 3 के विरूद्व 17.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाने के आदेश दिये गये।

वकील वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 की दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं सीमांकन अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 111 व 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस प्रकार डिकी फरमाया जावे किइ प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 वादिया की कृषि भूमि खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 हैक्टयर एवं 840, 841, 830, 835 वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर का सीमाज्ञान करवाये विना व विधिक प्रक्रिया अपनाए विना मनमाने तरीके से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करें व कब्जा करने के प्रयास न करे तथा वादिया के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कारित न करें। ऐसा न तो स्वंय करें ना ही अपने ऐजेन्ट, सर्वेन्ट, प्रतिनिधि इत्यादि से करावे। वादिया की भूमि का खसरा नम्बर 827 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 828 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नम्बर 829 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 833 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 834 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 837 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 838 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.05 हैक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 हैक्टयर वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर का सीमांकन करवाया जाकर स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर ज्ञात हुआ की वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 827, 828, 829, 832, 833, 834, 837, 838, 839 कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 है0 वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर स्थित वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीया का हिस्सा 1/6, अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3 व अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तथा दर्ज हिस्से अनुसार प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग करते आ रहें है। मद संख्या 1 में वर्णित वादिया की भूमियों के सीमाजोड पर प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि खसरा संख्या 840 व प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि खसरा नम्बर 830 व 835 है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 4 ने दिनांक 19.02.2025 को सीमाज्ञान हेतु आवेदन किया वादीया ने अन्य प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा की सीमाज्ञान करवा ले ताके सबको अपने हिस्से अनुसार भूमि मिल जावे फिर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अपनी भूमि मे निमार्ण कार्य करे परन्तु प्रतिवादीगण ने सीमाज्ञान करवाने हेतु मना कर किया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने बिना सीमाज्ञान के वादीया के हिस्से में नीव खोदकर निमार्ण सामग्री डालकर कब्जा करने पर उतारू है जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार नही है।ऐसी स्थिति में वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीया सर्वप्रथम तहसीलदार के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन पेश करे।

अतः वादीया का वाद डिक्री किया जाकर वाके ग्राम आसावाला, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, पटवार हल्का श्रीराम की नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर स्थित वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बरान 827, 828, 829, 832, 833, 834, 837, 838, 839 कुल किता 9 कुल रकबा 0.61 है0 व खसरा नम्बरान 840, 841, 830 व 835 में उभयपक्षो को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है एवं वादीया तहसीलदार सांगानेर के समक्ष सीमाज्ञान का आवेदन पेश करें। सीमाज्ञान होने व सीमाज्ञान पश्चात सीमाचिन्ह होकर सीमा का निर्धारण होने तक वादीया एवं प्रतिवादीगण मनमाने तरिके से किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण न करे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर